

प्रेषक,

ए0एस0 पांगती,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 03 जनवरी, 2017

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला में अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत प्रथम चरण के 02 कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता क्षेत्रा0, लो0नि0वि0, टिहरी द्वारा संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के 02 सेतु कार्यों के आगणनों पर विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 6.80 लाख (₹ छः लाख अस्सी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् कुल 02 कार्यों हेतु ₹ 0.20 लाख (₹ बीस हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0:-1764/111(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (ii)- आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- (iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।
- (iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
- (v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- (vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- (vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिपिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0-30 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04

जिला तथा अन्य सड़कें-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-03-सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण-00-24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित तथा निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

(ix)- स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)- वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2017 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं०-22-लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-02 अनुसूचित जाति उपयोजना-05 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-1030/XXVII/(2)/2016 दिनांक 02 जनवरी, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ए०एस० पांगती)
उप सचिव

संख्या:- / 111(2)/17-01(प्रा०आ०)/2016 टी.सी. तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
4. मुख्य अभियन्ता, क्ष०का०, लोनिवि०, टिहरी।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद देहरादून/टिहरी।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लोनिवि०, उत्तरकाशी।
9. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोनिवि०, पुरोला।
10. गार्ड बुक।

(ए०एस० पांगती)
उप सचिव

संख्या-3281 / 111(2)/17-01(प्रा0आ0)/2016 टी.सी. दिनांक 03 जनवरी, 2017 का संलग्नक।
(धनराशि लाख ₹ में)

क. सं.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी० में)	विभागीय टी०ए०सी० द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि।
1	2	3	4	5
1	एस०सी०एस०पी० के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र-पुरोला के विकासखण्ड मोरी के ग्राम पांव के भुबराला-नामे तोक मे सुपिन नदी पर 42 मी० स्पान स्टील गर्डर पैदल सेतु निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	42 mtr.	3.78	0.10
2	एस.सी.एस.पी. के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र-पुरोला के विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत ग्राम जखोल सावणी के बीच बुलाक्वा सुपिन नदी पर 36 मी. विस्तार के पैदल स्टील गर्डर पुल का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	36 mtr.	3.02	0.10
कुल :-		+02brg	6.80	0.20

(कुल ₹ बीस हजार मात्र)

(ए०एस० पांगती)

उप सचिव

22

कार्यालय प्रमुख, अभियंता एवं निरीक्षक, राहद निर्माण विभाग

निर्माण-1, उत्तराखण्ड देहात

Office of the Engineer in Chief, PWD, Uttarakhand Dehats

Web: <http://www.upsid.in/pwd>

दूरभाष: 01352-261111

फैक्स: 01352-261112 / 261113 / 261114

दिनांक: 10.01.2017

प्रतिरूप:- अभियंता के कार्यालय एवं आरक्षक कार्यालय को प्रेषित-

1. मुख्य अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर निर्माण विभाग, देहात
2. अभियंता अभियंता, राहद निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहात
3. अभियंता अभियंता, निर्माण कार्य, राहद निर्माण विभाग, देहात
4. अभियंता अभियंता, आरक्षक अभियंता, कार्यालय, राहद निर्माण विभाग, देहात को इस प्रतिलिपि के साथ प्रेषित करने की प्रति निवेदन। "अभियंता" पर संलग्न प्रतिलिपि प्रेषित की।

02/01/17

Page 1/2

लेखा शीर्षक	5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	04 - जिला तथा अन्य सड़कें
	800 - अन्य व्यय	
	02 - अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान	
	05 - नया निर्माण कार्य	

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - वृहत निर्माण कार्य	209000	20000	229000
	209000	20000	229000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

20000

(अ.प.वि. सि. वि. वि.)
उप सचिव, लोक निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड शासन।



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग

"नियोजन-1" उत्तराखण्ड देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

E-mail: eicpwduk@nic.in

पत्रांक- 20 /20 याता0'क'/2016

दिनांक- 10.01.2017

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, टिहरी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, षष्टम् वृत्त, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी।
3. अधिशासी अभिन्यता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पुरोला।
4. अधिशासी अभिन्यता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक/बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

T head (op)
Upload!

17/1/17

17/01/2017
वरिष्ठ कनिष्ठ अभियन्ता
कार्यालय लोक निर्माण विभाग
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून